न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः— 07/2017 तारीख रजू :—14.02.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. साबुददीन खॉ पुत्र श्री अजीमा खॉ, जाति तेली (एफबीओ व मालिक) फर्म—साबुददीन खॉ किराना स्टोर, तेली मोहल्ला, नहर के पास, पीपलदा, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर निवासी तेली मौहल्ला, नहर के पास, पीपलदा, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

..........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः— दिनांक 16/9/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 03.11.2020 को समय 03.00 पी.एम. पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फर्म— साबुददीन खॉ किराना स्टोर, तेली मोहल्ला, नहर के पास, पीपलदा, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर पर तहसीलदार, बौंली, श्री जयप्रकाश पटवारी, हिन्दुपुरा व श्री जितेन्द्र सचदेवा बाट माप निरीक्षक के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम साबुददीन खॉ पुत्र श्री अजीमा खॉ, जाति तेली बताया तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, आवेदक ने साबुददीन खॉ से फर्म का वर्ष 2020 का खाद्य पदार्थ लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने अपनी दुकान का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होना बताया व स्वयं का फोटो पहचान पत्र आवेदक को दिखाया। आवेदक द्वारा निरीक्षण [illegible] दुकान के विक्रय परिसर में उक रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसों तेल (गोमटेश्वर बाहुबली ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक की लगभग 30 बाटलों का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक साबुददीन [illegible] उक्त खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसों तेल (गोमटेश्वर बाहुबली ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक [illegible] बाटलो में से शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (गोमटेश्वर बाहुबली ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक की बोटलों में से 4 बोटल शुद्धता व लेबल की जॉच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदी जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 240/– रूपये अक्षरे दो सौ चालीस रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसों तेल (गोमटेश्वर बाहुबली ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक की 4 बोटलों को चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर आवेदक के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर, लेबलों को प्रत्येक बोटल पर अलग–अलग चिपकाकर, प्रत्येक बोटल को अलग–अलग ब्राउन पेपर में लपेटकर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर, बोटल पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **H-1900** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक बोटल पर चिपकाकर प्रत्येक बोटल को एक मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों बोटलों को अपने कब्जे में लिया। फर्म पर मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक साबुददीन खॉ ने उक्त नमूने की खाद्यवस्तु के माल खरीद बिल मौके पर नहीं दिया पूछने पर बताया कि मेरे पास उक्त खाद्यवस्तु का माल खरीद बिल अभी नहीं है बाद में कार्यालय में पेश कर दूंगा अभी मेरे पास 1 लीटर तेल की बोटल का बिल है जो आवेदक को दिया गया। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर, सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शीशी एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की 2 प्रतियॉ एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द शीशी व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री कैलाश ड्राइवर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 04.11.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) के यहां जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। बाकी बचे नमूने के दो सील बन्द शीशी (i व iii पार्ट) व फार्म नं0 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द शीशी (iv पार्ट) व फार्म नं0 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर दिनांक 03.11.2020 को स्वयं आवेदक के द्वारा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/1908 दिनांक 20.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1740/एक्ट/ 2020/1822 दिनांक 10.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (गोमटेश्वर बाहुबली ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर** [illegible] **नमूना मिथ्याछाप** (**Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006**) **प्रकृति** [illegible] मालिक साबुददीन खॉ को माल खरीद बिल, फर्म के अन्य दस्तावेज एवं मालिक के फोटो पहचान पत्र की प्रति उपलब्ध कराने बाबत लिखने पर फर्म मालिक साबुददीन [illegible] उपस्थित होकर स्वयं के आधार कार्ड की प्रति दी किन्तु माल खरीद बिल उपलब्ध नहीं कराया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

यह कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने **मिथ्याछाप प्रकृति** (Contravention of Proviso (iii) of Regulation No. 2.2.2(3) of FSS (Packaging and Labelling) Regulations 2011) खाद्य वस्तु **कच्ची घाणी सरसो तेल (गोमटेश्वर बाहुबली ब्राण्ड)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.09.2022 को उपस्थित होकर पूर्व में पेश किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2021 मय जवाब को दोहराते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है। पत्रावली पेश होने पर अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त की बहस सुनी गयी।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी पर गलत आरोप लगाकर परिवाद पेश किया है। प्रार्थी के यहां से खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल गोमटेश्वर बाहूबली ब्राण्ड की बोतलो को जब्त किया गया है जो पेंकिग और सीलबंद थी तथा प्रार्थी से उक्त सरसों की तेल की बोतलों का असल बिल भी प्रार्थी से परिवादी द्वारा जब्त कर लिया गया उक्त सरसों के तेल के ब्राण्ड की (सीलबंद) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एकमात्र कंपनी की है जिसका प्रार्थी से कोई वास्ता नहीं है। अन्त में अभियुक्त ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के साथ संलग्न उक्तानुसार निर्णयों का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1740/एक्ट/2020/1822 दिनांक 10.11.2020 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(3) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है जबकि अभियुक्तगण द्वारा जवाब/बहस में पूर्व में दिये गये जवाब को दोहराते हुए तर्क दिया कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(3) का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कम्पनी से प्राप्त खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल गोमटेश्वर बाहूबली ब्राण्ड की पैंकिग और सीलबंद बोतलो को विक्रय किया है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी एकमात्र कंपनी की है। प्रार्थी से उक्त सरसों के तेल की बोतलों का असल बिल आवेदक द्वारा जब्त कर लिया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिल क्रमांक 8653 जो कि फर्म कैलाशचन्द गिर्राजप्रसाद अग्रवाल लालसोट जिला दोसा द्वारा अभियुक्त के नाम अंकित है, में अभियुक्त को बाहुबली ब्राण्ड का तेल तो दिया गया है किन्तु वह एक लीटर तेल का बिल है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अभियुक्त द्वारा दिये गये कथन की स्पष्ट पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार आवेदक को या तो अभियुक्त से उक्त बाहुबली ब्राण्ड का आधा लीटर पैंकिग का बिल लेना चाहिए था या फिर जो बिल संलग्न किया है उसके आधार पर कम्पनी को भी पार्टी बनाना चाहिए था जो कि आवेदक द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में प्रकरण में निर्णय लिया जाना संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर.

अतः प्रकरण अभिहित अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को वापस लौटाकर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में नये सिरे से जांच कर कम्पनी को भी पार्टी बनाकर पुनः नये सिरे से परिवाद इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16/9/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:46 IST
Reason: SelfAttested